न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No. 2020/00179 (Bank Case)

Manual no- 64/2020

यूको बैंक रजिस्टर्ड कार्यालय यूको बैंक प्रधान कार्यालय 10 वि.त्रै.म. (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता में स्थित व कार्यरत है, जिसकी एक शाखा कार्यालय रामगंजमण्डी (2341) में स्थित व कार्यरत है । जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री प्रतिक नागिया

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री मुरारी लाल विन्दल श्री गोपाल राम **(ऋणी)**
   पता– माली मौहल्ला, रामगंजमण्डी (राज.)
   दुसरा पता– बाबा गेस्ट हाउस के पास, रामगंजमण्डी जिला कोटा राज.–326519
2. श्रीमति सरोज विन्दल पत्नि श्री मुरारीलाल विन्दल **(ऋणी व बंधनकर्ता)**
   पता– माली मौहल्ला, रामगंजमण्डी (राज.)
   दुसरा पता– बाबा गेस्ट हाउस के पास, रामगंजमण्डी, जिला–कोटा (राज.)–326519
3. श्रीमति कलावती मीना पत्नि श्री प्रहलाद मीना **(जमानती)**
   पता– 16, सुभाष कॉलोनी, वार्ड नं. 3, रामगंजमण्डी, जिला–कोटा (राज.)326519

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री अमरसिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः– 14 .10 .2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है यूको बैंक रजिस्टर्ड कार्यालय यूको बैंक प्रधान कार्यालय 10 वि.त्रै.म. (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता में स्थित व कार्यरत है, जिसकी एक शाखा कार्यालय रामगंजमण्डी (2341) में स्थित व कार्यरत है, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 05.07.2016 को 7,50,000/– (अक्षरेः रूपये सात लाख, पचास हजार मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी संख्या 2 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्रीमति सरोज विन्दल पत्नि श्री मुरारीलाल विन्दल के नाम से एक आवासीय सम्पत्ति जो कि बाजार नं. 2, सीमेन्ट रोड, पटान गली, माली मौहल्ला, रामगंजमण्डी (राज.) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है । जिसका कुल क्षैत्रफल 604 वर्गफीट है । जिसकी चारो सीमाएं–उत्तर में–अन्य मकान, दक्षिण में सड़क, पूर्व में– श्री चतुर्भुज का मकान, पश्चिम में श्री भैरूलाल का मकान स्थित है, उक्त सम्पत्ति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 6.7.2016 से केता सरोज विन्दल के नाम से है,** को प्रार्थी ने बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 29.02.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते में 7,20,775/– रूपये (अक्षरेः– सात लाख बीस हजार, सात सौ पिच्चहत्तर रूपये मात्र ।) दिनांक 29.02.2020 तक व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 20.03.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस का हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में दिनांक 05.06.2020 को प्रकाशन

14/10/20

भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । अतः प्रार्थी वित्तिय सस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने दिनांक 20.03.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस का हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में दिनांक 05.06.2020 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 20.03.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस का हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में दिनांक 05.06.2020 को प्रकाशन भी कराया इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की **अचल सम्पत्ति श्रीमति सरोज विन्दल पत्नि श्री मुरारीलाल विन्दल के नाम से एक आवासीय सम्पत्ति जो कि बाजार नं. 2, सीमेन्ट रोड, पटान गली, माली मौहल्ला, रामगंजमण्डी (राज.) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है । जिसका कुल क्षैत्रफल 604 वर्गफीट है । जिसकी चारो सीमाएं–उत्तर में– अन्य मकान, दक्षिण में सड़क, पूर्व में– श्री चतुर्भुज का मकान, पश्चिम में श्री भैरूलाल का मकान स्थित है, उक्त सम्पत्ति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 6.7.2016 से क्रेता सरोज विन्दल के नाम से है** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 14 .10.2020 को सुनाया गया ।

14/10

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा